7. योजनान्तर्गत बिहार PWDसंहिता एवं वित्त विभागीय पत्रांक–4989 वि०(2) दिनांक–16.05.2013 तथा संबंधित अद्यतन परिपत्र/आदेश की भी कंडिकाओं का अनुपालन कार्यकारी एजेंसी द्वारा अपेक्षित होगा।

8. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–7355 (वि०), दिनांक–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निकासी के दौरान वित्तीय नियमावली के नियमो व वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी संकल्पों एवं परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें।

10. योजना का क्रियान्वयन मार्गनिर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

11. व्यय उसी मद व उसी प्राधिकार द्वारा किया जाना है, जो इसके लिए प्राधिकृत है।

12. उपर्युक्त पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. उपर्युक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–अ०सं०क०–10 (WVY)–55/2024 .... पटना, दिनांक:– ....

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–अ०सं०क०–10 (WVY)–55/2024 .... पटना, दिनांक:– ....

प्रतिलिपि:–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–अ०सं०क०–10 (WVY)–55/2024 .... पटना, दिनांक:– ....

प्रतिलिपि:–प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–अ०सं०क०–10 (WVY)–55/2024 .... पटना, दिनांक:– ....

प्रतिलिपि:– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा, (दो प्रतियों में), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–अ०सं०क०–10 (WVY)–55/2024 .... पटना, दिनांक:– ....

प्रतिलिपि:–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना/अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, नांलदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:–अ०सं०क०–10 (WVY)–55/2024 218 पटना, दिनांक:– 14/07/26

प्रतिलिपि:–आई०टी० प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पत्रांक–अ०सं०क०–10 (WVY)–55/2024 ....

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

इबरार अहमद खाँ भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (ले० एवं ह०)
पटना।

पटना, दिनांकः–..................

विषय :– **बिहार राज्य वक्फ विकास (सुरक्षा तथा संवर्द्धन) योजनान्तर्गत दरगाह हजरत मख्दुम सैयद शाह सुल्तान अहमद चरमपोश वक्फ इस्टेट संख्या–2931 चिश्तीयाना, बिहारशरीफ, जिला–नालन्दा के सौन्दर्यीकरण एवं चहारदिवारी निर्माण कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन ₹39.56 लाख (उन्चालीस लाख छप्पन हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में राशि ₹12.99 लाख (बारह लाख निन्यानवे हजार रुपये) मात्र की निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

महाशय,

बिहार राज्य वक्फ विकास (सुरक्षा तथा संवर्द्धन) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में दरगाह हजरत मख्दुम सैयद शाह सुल्तान अहमद चरमपोश वक्फ इस्टेट संख्या–2931 चिश्तीयाना, बिहारशरीफ, जिला–नालन्दा के सौन्दर्यीकरण एवं चहारदिवारी निर्माण कार्य के उद्देश्य बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना से निबंधित औकाफ की विकास हेतु आय–सृजक एवं जन उपयोगी संरचनाएं जैसे वक्फ भूमि की घेराबंदी एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा BCD SOR 2022 (सिविल मद) एवं BCD SOR 2023 (विद्युत मद) के दरों के आधार पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन ₹39.56 लाख (उन्चालीस लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र का विभागीय प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश –सह– आवंटनादेश संख्या– 532 दिनांक– 13.01.2025 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि ₹20.00 लाख की निकासी एवं आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्तालोक में उक्त वक्फ इस्टेट का सौन्दर्यीकरण एवं चहारदिवारी निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹39.56 लाख (उन्चालीस लाख छप्पन हजार रूपये) मात्र के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में द्वितीय किस्त के रुप में राशि ₹12.99 लाख (बारह लाख निन्यानवे हजार रुपये) मात्र की निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. यह राशि बजट मांग संख्या–30 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2250–अन्य सामाजिक सेवाएं–उप मुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–0107–वक्फ सम्पति के रख–रखाव सुरक्षा तथा संवर्द्धन विषय शीर्ष–31–06 सहायक अनुदान गैर वेतन, विपत्र कोड–30–2250008000107 में प्रावधानित राशि से किया जायेगा।

4. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कोषागार विपत्र BTC- 46 के माध्यम से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी। उक्त राशि की निकासी कर WAQF DEVELOPMENT REVOLVING FUND C/O BIHAR STATE SUNNI WAQF BOARD, PATNA का पी०एल० खाता संख्या–PTSPLA029 में लेजर का नाम–Waqf Vikas Yojana, लेजर आई०डी०सं०–13815 में CFMS द्वारा बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. इस राशि का व्यय होने पर अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को 18 माह के अन्दर सुनिश्चित करेगें, ताकि उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा जा सकें।

6. उक्त स्वीकृत राशि उपयोग किसी भी परस्थिति में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1203, दिनांक–14.08.2018 में उल्लेखित प्रावधानों/मार्गनिर्देशिका के अन्यत्र यथा कर्मियों का वेतन आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा।

कृ०पृ०उ०......